समक्ष न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर म. प्र.

पुनरीक्षण याचिका क्रमांकः-...../2015

पुनरीक्षणकर्ता/क्रेती :- श्रीमती सविता जैन पति श्री संजीव कुमार जैन
उम्र 41 वर्ष, पेशा-गृहणी, निवासी 2880, चेरीताल दमोह रोड जबलपुर

विरूद्ध

उत्तरार्थी/अनावेदक :- मध्य प्रदेश शासन
कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जबलपुर

पुनरीक्षण याचिका अंर्तगत धारा 56 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899

पुनरीक्षणकर्ता/क्रेती, उत्तरार्थी/कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33/40 के तहत प्रकरण क्रमांक 32/1/बी-103/ धारा 33/2012-13 पक्षकार म.प्र.शासन बनाम नंदकिशोर यादव(विक्रेता) एवं श्रीमती सविता जैन(क्रेती) मे पारित आदेश दिनांक 23/01/13 एवं उक्त आदेश पर निर्मित आर.आर.सी.प्र.124/अ-76/2013-14 से परिवेदित होकर निम्नलिखित तथ्यो एवं आधारो पर पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हैं:-

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि उपरोक्त प्रकरण मे विक्रेता के द्वारा अपने श्री संगीत यादव के पक्ष मे दिनांक 05/10/04 को उप पंजीयक महोदय के समक्ष प्रश्नगत दस्तावेज मुख्त्यार आम निष्पादित कर पंजीकृत कराया गया था। ततपश्चात उपरोक्त पक्षकारो के द्वारा ही मुख्त्यारनामे मे वर्णित संपत्ति को विधिवत विक्रय दिनांक 25/05/2010 को पुनरीक्षणकर्ता को कर रिक्त कब्जा सौपकर कर दिया था। उक्त विक्रयपत्र के निष्पादन से लगभग ढेड वर्ष से अधिक समय बीतने के पश्चात उक्त संपत्ति की क्रेती पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा बैनामे के मसौदे को तैयार कराते समय उक्त पंजीकृत मुख्त्यारनामे के साथ संलग्न नक्शे मे अंकित दिशासूचक को सही मानकर, बैनामे मे भी सदभावना से उक्तानुसार दिशासूचक अंकित कराते हुये विक्रय पत्र निष्पादित कर पंजीकृत करा दिया गया था। जिसके दिशासूचक के गलत होने की जानकारी उक्त पुनरीक्षणकर्ती को वर्ष 2012 मे होने के आधार पर प्रश्नगत उक्त दोनो दस्तावेजो के पक्षकारो द्वारा (मुख्त्यारनामा आम एवं विक्रय पत्र मे वास्तविक दिशासूचक दर्ज किये जाने हेतु) सुधार पत्र दि.27/07/12 को उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिसके पीछे पक्षकारो का एक मात्र सदभाविक आशय विक्रय पत्र के साथ संलग्न नक्शे मे वर्णित गलत दिशासूचक को सही कर स्वामित्व को विवादित होने से बचाना था न कि कोई नया दस्तावेज उक्त संबंध मे निष्पादित करना था।

2. यह कि पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनो सुधार पत्र मे वर्णित सुधार (दिशासूचक) को उप पंजीयक द्वारा सारभूत परिवर्तन मानाकर उक्त सुधारपत्र को असम्यक रूप से स्टाम्पित मानते

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-7052-एक/15 **जिला** - जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/6/18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला जबलपुर प्रकरण क्रमांक 32/1/बी-103/धारा-33/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 23.01.2013 के विरुद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (जिसे आगे स्टाम्प एक्ट कहा जाएगा) की धारा-56 के तहत पेश की गई है। 2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपपंजीयक जबलपुर के पत्र क्रमांक 187 दिनांक 11.12.2012 द्वारा एक सुधार पत्र जो 100/- के मुद्रांक पर दिनांक 27.07.2011 को निष्पादित होकर उपपंजीयक कार्यालय जबलपुर में पंजीयन हेतु प्रस्तुत हुआ। अत: दस्तावेज असम्यक रूप से स्टाम्पित होने के कारण उपपंजीयक द्वारा मुद्रांक अधिनियम की धारा 33 में अवरुद्ध कर धारा 38(2) के तहत कार्यवाही हेतु प्रेशर किया। जिस पर से कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने अपने आदेश दिनांक 23.01.2013 द्वारा कमी स्टाम्प शुल्क 99,300/- तथा शास्ति 20,700/- इस प्रकार कुल 1,20,000/- रुपये जमा कराने के आदेश दिए। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में मूल विषय से हटकर श्रीमान का ध्यान भ्रमित करने के उद्देश्य से विवेकहीन तत्य लिखे हैं, जैसे संपत्ति की चौहद्दी में चारों दिशाओं के व्यक्तियों के नाम, सुधार पत्र विलंब से प्रस्तुत करना, संशोधन को सरवान परिवर्तन मानना आदि, जबकि संशोधन के पश्चात चौहद्दी के नाम बदलना स्वाभाविक है। विलंब से प्रस्तुत होने की शास्ति आवेदिका जमा करने का तैयार है एवं सुधार पत्र के द्वारा कोई सारवान परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अधीनस्थ न्यायालय के दिनांक 04.01.2012 के निर्देशानुसार ही सुधार पत्र प्रस्तुत किया गया है। 4. अनावेदक शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण उपपंजीयक जबलपुर के सुधार पत्र से प्रारंभ हुआ है। प्रकरण में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा सभी तथ्यों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया है एवं प्रश्नाधीन सुधार पत्र को 4 माह की समयावधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत करना था, परंतु पक्षकार द्वारा प्रश्नाधीन सुधार पत्र समय सीमा उपरांत पेश किया गया। ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन सुधार पत्र पर शास्ति अधिरोपित किया जाना उचित प्रतीत होता है। तथा प्रस्तुतीकरण दिनांक 27.07.2012 को प्रचलित गाइड लाइन वर्ष 2012-13 अनुसार ही बाजार मूल्य की गणना कर उस पर स्टाम्प शुल्क का निर्धारण किया गया है जो उचित है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। परिणामस्वरूप यह निगरानी निरस्त की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	